

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- कलक्टर जिला बांरा का पीए 1 लाख 40 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 9 दिसम्बर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की कोटा इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये आज बुधवार को कलक्टर जिला बांरा के निजी सहायक (पीए) महावीर नागर को 1 लाख 40 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पेट्रोल पम्प की एन.ओ.सी. जारी करने की एवज में कलक्टर जिला बांरा के पीए महावीर नागर द्वारा 2 लाख 40 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करवाया जाकर आज बांरा में एसीबी कोटा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये जिला बांरा कलक्टर के निजी सहायक (पीए) महावीर नागर को परिवादी से 1 लाख 40 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रारम्भिक पूछताछ में आरोपी द्वारा एन.ओ.सी. जारी करने की एवज में से ली गई रिश्वत राशि में से 1 लाख रूपये कलेक्टर बांरा के लिए तथा 40 हजार रूपये स्वयं के लिए लेना स्वीकार किया है तथा मौके पर कार्यवाही जारी है।

आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों पर एसीबी टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।